न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 1782

दिनांक – 12/05/2023

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 देवीश्री खदाव पत्नी धर्मेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।		1 महेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्रीरामवाला तहसील धनाउ 2 प्रतापसिंह पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी महावीर नगर बाडमेर 3 आयुक्त नगर परिषद् बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 27/04/2023

राजस्व आवेदन संख्या :– 112/2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1354/820 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 12/05/2023

क्रमांक :– रीडर/2023/ 1783-86

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देवीश्री खदाव पत्नी धर्मेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी कवास तहसील ग्रामीण व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी महेन्द्र पुत्र श्रीराम वगैराह जाति जाट निवासी श्रीरामवाला तहसील धनाउ जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर